पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर

(छ.ग. शासन के अधिनियम क्रमांक 26 सन् 2004 द्वारा स्थापित)

कोनी–बिरकोना मार्ग ,बिलासपुर (छ.ग.) 495009

दूरभाष क्रमांक : (07752) 210312 फैक्स : (07752) 213073

www.pssou.ac.in Email – registrar@pssou.ac.in

क्र. A-1057/शिक्षा/2020 बिलासपुर, दिनांक 22 /10/2020

बी.एड. एवं डी.एल.एड. प्रवेश से संबंधित दावा आपत्ति निराकरण सूची एवं प्रावीण्य सूची संबंधी अधिसूचना

विश्वविद्यालय द्वारा जारी प्रावीण्य सूची पर दावा आपत्ति हेतु अधिसूचना क्रमांक A-1041/शिक्षा/2020 दिनांक 09.10.2020 का निराकरण उपरोक्त विषयांतर्गत जारी प्रावीण्य सूची पर अभ्यर्थियों से दिनांक 10.10.2020 से 18.10.2020 तक दावा आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु Email के माध्यम से कहा गया था। जिसपर निर्धारित अवधि एवं समय पर प्राप्त कुल बी.एड. 248 तथा डी.एल.एड. के 17 आवेदन प्राप्त हुए जिसके दावा एवं आपत्ति का परीक्षण विश्वविद्यालय द्वारा गठित समिति ने किया। जिसपर परीक्षण उपरान्त उनके दावों पर जो निर्णय लिया गया जिसकी सूची वेब साइट पर जारी की जा रही है।

उपरोक्त सूची में उनके नाम के सम्मुख उनके द्वारा किये गये दावा आपत्ति तथा उसके निराकरण को प्रदर्शित किया गया है।

दावा आपत्ति के परीक्षण एवं उनके निराकरण के पश्चात् बी.एड. एवं डी.एल.एड. की कॉउन्सलिंग प्रक्रिया हेतु प्रावीण्य सूची जारी की जा रही है। अभ्यर्थी ऑनलाईन कॉउन्सलिंग आवेदन को पूर्ण रूप से भरें एवं प्रक्रिया में सम्मिलित हो।

नोट :–

1. विश्वविद्यालय द्वारा दावा आपत्ति हेतु निर्धारित अंतिम तिथि (18.10.2020) के पश्चात् प्राप्त दावा एवं आपत्ति पर किसी भी प्रकार से विचार नहीं किया गया है।

2. प्रवेश एवं कॉउन्सलिंग के लिए विश्वविद्यालय द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक A-1041/शिक्षा/2020 को जारी बी.एड. एवं डी.एल.एड. प्रवेश संबंधी अधिसूचना के कंडिका क्रमांक 04 अनुसार ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने केवल पी.जी. के अंक आवेदन फार्म में भरे हैं, वे यदि यू.जी. के अंकों के आधार पर पात्र होंगे तो ऐसे स्थिति में उनका पी.जी. के अंक द्वारा प्राप्त सीट पर दावा स्वमेव समाप्त हो जायेगा।

3. डी.एल.एड. एवं बी.एड. कॉउन्सलिंग की पूरी प्रक्रिया विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर अपलोड है, उसका अवलोकन करें एवं उसकी प्रक्रिया पूर्ण करें।

4. जो अभ्यर्थी कॉउन्सलिंग प्रक्रिया पूर्ण करेंगें उन्हें ही प्रवेश प्रक्रिया हेतु अंतिम प्रावीण्य सूची में सम्मिलित कर उनके वरीयता क्रमानुसार राज्य शासन द्वारा निर्धारित आरक्षण नियम का पालन करते हुए विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित सीट पर स्थान रहते तक चयन प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा।

5. कोविड–19 के संदर्भ में राज्य शासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन, प्रवेश प्रक्रिया में सम्मिलित होने के दौरान अभ्यर्थी सुनिश्चित करें।

6. बी.एड. एवं डी.एल.एड. में प्रवेश से संबंधीत संपूर्ण प्रक्रिया राज्य शासन के समय–समय पर जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप की गई है तथापि किसी भी तरह की आपत्ति या असहमती होने की स्थिति में माननीय कुलपति महोदय के समक्ष आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। अंतिम निर्णय माननीय कुलपति जी का होगा, जो अभ्यर्थी को मान्य होगा।

कुलसचिव

क्र. A-1058/शिक्षा./2020 बिलासपुर, दिनांक 22/10/2020

प्रतिलिपिः

1. कुलपति के निज सचिव को कुलपति जी को सूचनार्थ।
2. परीक्षा नियंत्रक को सूचनार्थ।
3. वेबसेल को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अधिसूचना को विश्वविद्यालय की वेबसाइट में अपलोड करे।
4. कार्यालय प्रति

कुलसचिव

पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त)
विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़,
बिलासपुर (छ.ग.)